न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 59/2015 (पुराना) दायर तारीख :– 20.04.2015
106/2022 (नया इस न्यायालय का)

शेराराम पुत्र फूसाराम जाति जाट नि0 दातिणा तहसील खींवसर जिला नागौर राज0

वादी

बनाम

1. विनोद कंवर पत्नि शिवजीसिंह
2. भोजराजसिंह पुत्र शिवजीसिंह
3. किशनसिंह पुत्र सुन्दरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीयान चिरनोटिया तह0 कि0रेनवाल हाल जोबनेर जिला जयपुर राज0

4. रमेश पुत्र हनुमान जाति जैन नि0 मुरलीपुरा तह0 कि0रेनवाल हाल जोबनेर जिला जयपुर राज0
5. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा हिंगोनिया जरिये प्रबन्धक
6. आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाख जोबनेर जरिये प्रबन्धक
7. तहसीलदार कि0रेनवाल हाल तहसीलदार तहसील जोबनेर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा आराजी

उपस्थित :– 1. श्री लोकश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वादी
2. श्री जगवीर सिंह सेवदा, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3
3. श्री रामकिशन, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 4
4. श्री निशान्त शर्मा, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 6
5. सराकर पैरोकार

निर्णय दिनांक 24.03.2023

पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय सहायक कलक्टर सांभर लेक के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अंतर्गत दिनांक 20.04.2015 को प्रस्तुत किया गया था। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश कमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। वादी/प्रतिवादीगण अधिवक्ता तथा पैरोकार सरकार उपस्थित।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 की संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खाता सं0 117 की आराजी ख0नं0 125 शा0नं0 106/2

.....2

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम चिरनोटिया तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसमें वादी का 13/63 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1566/4158 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 348/4158 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 का 1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार आराजी खाता सं0 40 की आराजी ख0नं0 120 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा वाकै ग्राम चिरनोटिया तह0 जोबनेर जिला जयपुर में वादी का 1/2 हिसा, प्रतिवादी सं0 1 का 41/126 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 का 1/126 हिस्सा है जो इसी प्रकार हिस्सेनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा04 अपने अपने हिस्सें की भूमि काश्त करते है एवं उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। उपरोक्त आराजी अविभाजित है जिसका विधिक रूप से विभाजन नहीं हो रखा है। पक्षकारान ने आपसी सहमति से अपने अपने हिस्सें को मौके के कब्जें के अनुसार बांट रखा है और मौके के कब्जें के अनुसार ही अपनी आराजी की काश्त करते आये है एवं काविज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आये है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 ने अपने हिस्सें की भूमि को मौके पर उन्नत व विकसित किया हुआ है और हिस्से अनुसार काविज काश्त है। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि अविभाजित होने से व आये दिन भूमि के विभाजन को लेकर मतभेद होने व काश्त में असुविधा होने से व ऋण व भूमि के विकास में कानूनी अडचने आती है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 अलग समाज के है जिसके कारण उसके साथ संयुक्त कब्जें की आराजी में काश्त करना संभव नहीं है इसलिए उक्त भूमि का मौके के कब्जें के अनुसार रिकार्ड में विभाजन करवाया जाना आवश्यक है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 को कई बार उक्त भूमि का मौके के कब्जें के अनुसार विभाजन करवाने को कहा तो हमेशा टालमटोल करता आया है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 को दिनांक 15.03.15 को विभाजन हेतु कहा तो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 ने न्यायालय मे चारा जोरी करने को कहा इसलिए मान्य न्यायालय में उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जगवीर सिंह सेवदा, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रामकिशन तथा प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता निशान्त शर्मा उपस्थित। प्रतिवादी सं0 6 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। सरकार पैरोकार उपस्थित। पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण तत्कालीन न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही करने पर तत्कालीन न्यायालय द्वारा जवाब बंद कर दिया गया। तत्कालीन न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को सुनकर दिनांक 23.03.2021 को वादी का वाद कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक डिक्री किया गया। प्रतिवादी सं0 6 के अधिवक्ता द्वारा आदेश 47 नियम 1 व धारा 151 सी0पी0सी0 का पेश कर प्रतिवादी सं0 2 के बैंक की ऋण राशि चुकता नहीं किए जाने से न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 20/03/2021 को अपास्त करने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया जाकर दिनांक 7/6/22 को

.....3

23/3/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

आदेश 47 नियम 1 व धारा 151 सी0पी0सी0 को निम्न प्रकार निर्णीत किया गया:—"वकील वादी को सुना जाकर प्रा0 पत्र 47 R 1 व सपठित धारा 151 जा0 दी0 व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया। प्रा0 पत्र 47 R 1 इस आशय के साथ खारिज किया जाता हैकि दावे का निर्णय बैंक के हित व अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए किया जावेगा जो कि ऐसे ही निहित है। तहसीलदार कि0रेनवाल/ जोबनेर को इस आशय की तहरीर पृथक से जारी हो।"

जिसकी अनुपालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 19.10.2022 को कुरेजात रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गयी।

1. वाद पत्र दिनांक 23.03.2021 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार जोबनेर से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 अनुसार कुरेजात रिपोर्ट पत्रांक 6516 दिनांक 19.10.2022 से प्राप्त हुई।
2. प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा वाद को अंतिम डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया।
3. बहस उभय पक्ष व पैरोकार सरकार को सुना गया।
4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक अधिवक्ता वादी की ओर से नक्शें कुरेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शें कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी सं. 3 व 4 बरवक्त कुरेजात मौके पर उपस्थित रहे। पत्रावली एवं नक्शें कुरेजात का अवलोकन किया गया तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुरेजात पर प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 द्वारा हस्ताक्षर किए गये है। बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 की सहमति होने से वादी का वाद अविभाजित सम्पत्ति होने से मुताबिक नक्शें कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। मुताबिक नक्शें कुरेजात वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

वादी का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वाकै ग्राम चिरनोटिया तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

क. स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	हिस्सा
1	शेराराम पुत्र फुसाराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट नि. दातिणा तह. खींवसर जिला नागौर	120/1 125/1	1.8127 बारानी 3 0.6545 चा2 0.5913 जाव2 0.0632	सम्पूर्ण
		किता 2	2.4672	

21/3/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

2	भोजराज सिह पुत्र शिवजी सिहं हिस्सा 8824/34626 जाति राजपूत सा. देह राहिन सम्पूर्ण हिस्सा icici बैंक ltd शाखा जोबनेर विनोद कंवर पत्नी शिवजी सिहं हिस्सा 25802/34626 जाति राजपूत सा. देह राहिन सम्पूर्ण हिस्सा icici बैंक ltd शाखा जोबनर	120/2 125/1 125/4 120/3	1.2645 बारानी 3 1.7556 चाही 2 0.2529 बारानी 3 0.1896 बारानी 3	सम्पूर्ण
		किता 4	3.4626	
3	रमेश चन्द पुत्र हनुमान हिस्सा सम्पूर्ण जाति जैन सा. मुरलीपुरा	120/4 125/5	0.0083 बारानी 3 0.0177 चाही 2	सम्पूर्ण
		किता 2	0.0260	
4	किशन सिहं पुत्र समुन्द्र सिहं हिस्सा सम्पूर्ण जाति राजपूत सा. देह राहिन हि. सम्पूर्ण जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा हिंगोनिया	125/3	1.3404 चाही2	
		किता 1	1.3404	

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2023 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/3/2023

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर मुकाम जोबनेर जिला जयपुर व इजलास श्री अरूण कुमार जैन आर0ए0एस0,

शेराराम बनाम विनोद कंवर वगै0

वाद पत्र बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियिम 1955

राजस्व वाद संख्या :–59/2015 (पुराना) दायर 106/2022 (नया इस न्यायालय का)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्री अरूण कुमार जैन आर0ए0एस0 बहाजरी** श्री लोकेश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई व श्री जगवरी सिंह सेवदा, श्री रामकिशन, श्री निशान्त शर्मा विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण तथा सरकार पैरोकार वास्ते प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि वादी शेराराम द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत् तकासमा को निम्न प्रकार से निर्णीत किया जाता है:–

वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकासमा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट सभी अनुतोषों के बाबत् स्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24 माह 03 सन् 2023 को जारी किया गया।

वाद के खर्चे

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलाह	रूपया	पैसा
अर्जी दावा.....	04/–		स्टाम्प वकालतनामा....	04/–	
स्टाम्प वकालतनामा....	02/–		स्टाम्प वजह सबूत.....		
स्टाम्प वजह सबूत.....			महनताना वकील.....		
महनताना वकील.....			खर्चा गवाहान.....		
खर्चा गवाहान.....			फीस कमिश्नर.....		
फीस कमिश्नर.....			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा.....		
हुक्मनामा.....			मुतफर्रिक.....		
मुतफर्रिक.....	08/–		मीजान.....		
मीजान.....					
कुल	14/–			04/–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का, चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर

24/3/23
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

.....2

शेराराम पुत्र फूसाराम जाति जाट नि0 दातिणा तहसील खींवसर जिला नागौर राज0

वादी

बनाम

1. विनोद कंवर पत्नि शिवजीसिंह
2. भोजराजसिंह पुत्र शिवजीसिंह
3. किशनसिंह पुत्र सुन्दरसिंह

   समस्त जाति राजपूत निवासीयान चिरनोटिया तह0 कि0रेनवाल हाल जोबनेर जिला जयपुर राज0
4. रमेश पुत्र हनुमान जाति जैन नि0 मुरलीपुरा तह0 कि0रेनवाल हाल जोबनेर जिला जयपुर राज0
5. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा हिंगोनिया जरिये प्रबन्धक
6. आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाख जोबनेर जरिये प्रबन्धक
7. तहसीलदार कि0रेनवाल हाल तहसीलदार तहसील जोबनेर

प्रतिवादीगण

21/3/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर